न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 04/2020

प्रार्थी :–

1. सुखाराम पुत्र चुनाराम
   जाति–जाट, निवासी–नौसरिया, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जसौदा पुत्री अन्नाराम
2. भवानी शंकर पुत्र अन्नाराम
3. संतोष पत्नी अन्नाराम
4. सुमित्रा पुत्री अन्नाराम
5. चुकी पुत्री अन्नाराम ना.बा.
6. पदमा पुत्री अन्नराम ना.बा.
   जरिये कुदरती वलिया माता संतोष
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–नौसरिया, तहसील–जायल जिला–नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता 1 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़
3. अप्रार्थी संख्या 7 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर मौजा नौसरिया तहसील जायल में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का खेत खसरा नं. 44 रकबा 2.5090 हैक्टेयर प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ़ आया हुआ है, खसरा नं. 44 के पूर्वी सींव के पास–2 नोसरिया से जानेवा जाने वाला आम कटाणी रास्ता ग्रेवल सड़क आई हुई। इस रास्ते के

29/12/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने, पशुधन को लाने व ले जाने तथा कृषि कार्य के लिए आवश्यक संसाधन हेतु अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा कटाणी रास्ता से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीक यही रास्ता है, जिसे प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ से ब (ए से बी) दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करने से मना करते हुये उक्त रास्ता को अवरूद्ध कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को खेत में आने जाने हेतु विकट समस्या पैदा हो गई है। प्रार्थी एक किसान है जिसके आजिवा एक मात्र साधन खेती की आय से ही चलता है। आपसी बातचीत एवं सुलह नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 40 में से आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खेत खसरा नं. 44 में से रास्ता 25 फीट चौड़ाई एवं 290 फीट लम्बाई में रास्ता माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 7 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ द्वारा वकालात नामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को रास्ता दिये जाने हेतु सहमती व्यक्त की है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 40 में जाने के लिए कटाणी रास्ता से कम दूरी का रास्ता बिन्दू संख्या ए से बी नजरी नक्शानुसार अप्रार्थी के खेत संख्या 44 में से होना बताया। साथ ही मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

चाहे गये वांछित रास्ता पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 44 में से 290 फीट लम्बाई तथा 25 फुट चौडाई भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त खसरा की डी.एल.सी. दर राशि 22275 रू. प्रति बीघा है जिसके लिए रास्ता हेतु उपयोग भूमि की प्रतिकर राशि 9268 रू. बनती है। जो कि मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित नजरी नक्शानुसार रास्ता मार्क ए से बी के अनुसार है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर मौजा नौसरिया तहसील जायल में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का खेत खसरा नं. 44 रकबा 2.5090 हैक्टेयर प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ आया हुआ है, खसरा नं. 44 के पूर्वी सींव के पास–2 नोसरिया से जानेवा जाने वाला आम कटाणी रास्ता ग्रेवल सड़क आई हुई। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने, पशुधन को लाने व ले जाने तथा कृषि कार्य के लिए आवश्यक संसाधन हेतु अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं होने से तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता के कारण प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए के तहत पेश किया गया।

वकील प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थीगण प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करते थे तथा उक्त रास्ता को अवरूद्ध भी कर दिया था। अब पक्षकारान के मध्य आपसी बातचीत एवं सुलह से हो गई है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी कटाणी करने हेतु सहमत भी है, जिसका जिक्र अप्रार्थीगण द्वारा अपने इकबालिया जवाब तथा तहसीलदार जायल द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में भी किया गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खेत खसरा नं. 40 में से आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खेत खसरा नं. 44 में से रास्ता 290 फीट लम्बाई एवं 25 फीट चौड़ाई में रास्ता माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी के अनुसार में स्वीकार किया जावे तथा रास्ता उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश हेतु तथा मवेशी लाने ले जाने तथा कृषि कार्य हेतु संसाधन लाने ले जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता है, उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 40 में अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 44 में से ही पशुधन अवेरने, स्वयं के आने जाने तथा कृषि संसाधनों के उपयोग के उपभोग करता था। पक्षकारान के मध्य आपसी मन मुटाव के कारण उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था। परन्तु गांव के मौजीज व्यक्तियों के समझाईस करने पर उक्त रास्ता पुनः खोल दिया गया तथा उक्त रास्ते को माफिक प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शानुसार अब कटाणी किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकुलाय सुनी गई तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया बहस वकुलाय पर मनन किया गया। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 40 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 44 के समीप उतरी पश्चिमी सीमा पर ग्रेवल सड़क ग्राम नौसरिया से जानेवा कटाणी रास्ता अंकित है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 40 के लिए रास्ता मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में मार्क ए से बी लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने तथा पशुधन तथा कृषि प्रयोजनार्थ आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु उपभोग में लाना बताया है साथ ही उक्त रास्ते को कटाण घोषित किये जाने में अपनी सहमति इकबालिया जवाब प्रार्थना के प्रस्तुत की है।

उपरोक्त विवेचन एवं अप्रार्थीगण की सहमति से इस बात की सम्पुष्टि होती है कि प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 40 में आने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता होना तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से तथा अप्रार्थीगण की प्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ते का ही उपभोग करने पर खेत खसरा नं. 44 में से ही रास्ता स्वीकृत किये जाने की सहमति व्यक्त करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम नौसरिया तहसील जायल के खसरा नं. 44 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क के अनुसार 25 चौड़ाई व 290 फीट लमबाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम नौसरिया तहसील जायल के खसरा नं. 44 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी सुखाराम से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

29/12/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल